

सं०सं०-म०नि०-II-उ० यो०-86/2021-22/30 रा० (वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 01.12.23

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के कम में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो० 3476.8374 लाख (चौतीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार सात सौ चालीस) रू० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के कम में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो० 3476.8374 (चौतीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार सात सौ चालीस) रू० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021, स्वीकृत्यादेश सं०-18 रा० (वि०) दिनांक-03.09.2021, स्वीकृत्यादेश सं०-40 रा० (वि०) दिनांक-17.02.2022, स्वीकृत्यादेश सं० 57 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2022, स्वीकृत्यादेश सं० 22 रा० (वि०) दिनांक-07.11.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं०-49 रा० (वि०) दिनांक-23.03.2023 के द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में ही भारत सरकार द्वारा वर्तमान में विमुक्त केन्द्रांश के साथ समानुपातिक राज्यांश की राशि को सम्मिलित करते हुए मो० 3476.8374 लाख (चौतीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार सात सौ चालीस) रू० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं में अपने अंशदान की अगली किरत की राशि कुल मो० 2080.25 (बीस करोड़ अस्सी लाख पच्चीस हजार) रू० मात्र निम्न प्रकार विमुक्त की गई है -

(क) भारत सरकार के F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 29.09.2023 (सामान्य एवं महिला कोटि)

3/11/23

10/11/23

(Rs. In lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	GENERAL + WOMEN Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2020-21	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 5 <sup>th</sup> January, 2021	1872.43	1526.94	345.48	0.01
2	2020-21	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 23 <sup>rd</sup> March, 2021	437.10	437.10		0.00
3	2021-22	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 28 <sup>th</sup> September, 2021	2782.06	1391.00	608.00	783.06
4	2022-23	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 11 <sup>th</sup> August, 2022	2028.274	507.07	363.61	1157.594
Total :			7119.864	3862.110	1317.09	1940.664

(ख) भारत सरकार के F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 29.09.2023 (अनुसूचित जनजाति कोटि)

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	ST Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2021-22	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 28 <sup>th</sup> September, 2021	906.16	453.20	226.59	226.37
2	2022-23	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 11 <sup>th</sup> August, 2022	585.54	146.38	146.38	292.78
Total:			1491.70	599.58	372.97	519.15

(ग) भारत सरकार के F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 29.09.2023 (अनुसूचित जाति कोटि)

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	SC Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2021-22	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 28 <sup>th</sup> September, 2021	350.15	174.99	175.00	0.16
2	2022-23	Fisheries Developmental proposal of GoJ approved vide order of even no. dated 11 <sup>th</sup> August, 2022	286.92	71.73	215.19	0.00
Total :			637.07	246.72	390.19	0.16
Grand Total :					2080.25	2459.974

3. (क) इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन में पुनर्विनियोग पश्चात् कुल मो0 6400.00 लाख रु0 मात्र का संशोधित योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध प्राप्त है।

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 167.

(ख) उक्त बजट उपबंध के अधीन स्वीकृत्यादेश सं० 17 रा० (वि०) दिनांक 25.07.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं० 24 रा० (वि०) दिनांक 03.10.2023 निर्गत है।

(ग) निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 24 रा० (वि०) दिनांक 03.10.2023 को विलोपित किया जाता है।

(घ) मो० 6400.00 लाख रु० मात्र के संशोधित योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध के तहत निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-17 रा० (वि०) दिनांक-25.07.2023 द्वारा उपयोग किये गये बजट उपबंध के पश्चात् अवशेष बजट उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त पूर्व वित्तीय वर्ष की स्वीकृत परियोजनाओं के केन्द्रांश की अगली किस्त तथा समानुपातिक स्वीकृत राज्यांश का व्यय निम्न लघु शीर्षों में किया जायेगा -

मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(राशि लाख रु० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	पुनर्विनियोग द्वारा संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 17 रा० (वि०) दिनांक 25.07.2023 तथा स्वीकृत्यादेश सं० ..... दिनांक ..... द्वारा उपयोग में लाया गया बजट उपबंध	इस स्वीकृत्यादेश से स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
<b>लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन</b>					
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	2010.000	120.330	1190.9225	698.7475
	<b>कुल केन्द्रांश</b>	<b>2010.000</b>	<b>120.330</b>	<b>1190.9225</b>	<b>698.7475</b>
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	1331.71234	80.221	793.6124	457.87894
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	38.28766	38.28766	0.000	0.000
	<b>कुल राज्यांश</b>	<b>1370.000</b>	<b>118.50866</b>	<b>793.6124</b>	<b>457.87894</b>
<b>लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>					
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	450.00	0.000	390.190	59.810
	<b>कुल केन्द्रांश</b>	<b>450.00</b>	<b>0.000</b>	<b>390.190</b>	<b>59.810</b>
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	299.6337	0.000	259.460	40.1737
6	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	7.3663	7.3663	0.000	0.000
	<b>कुल राज्यांश</b>	<b>307.000</b>	<b>7.3663</b>	<b>259.460</b>	<b>40.1737</b>
<b>लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग</b>					
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	1350.000	194.490	499.1375	656.3725
	<b>कुल केन्द्रांश</b>	<b>1350.000</b>	<b>194.490</b>	<b>499.1375</b>	<b>656.3725</b>
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	895.95396	129.661	343.515	422.77796

32- राजीव

107

9	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	17.04604	17.04604	0.000	0.000
	कुल राज्यांश	913.000	146.70704	343.515	422.77796
	सकल केन्द्रांश	3810.000	314.820	2080.250	1414.930
	सकल राज्यांश	2590.000	272.582	1396.5874	920.8306
	कुल योग (2405) :	6400.000	587.402	3476.8374	2335.7606

मो0 3476.8374 (चौतीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार सात सौ चालीस) रू0 मात्र।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश की राशि के क्रम में समानुपातिक राज्यांश सहित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।
6. इस योजना के तहत स्वीकृत/आवटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रासंगिक योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
8. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक-31.03.2021, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-18 रा0 (वि0) दिनांक-03.09.2021, शुद्धि पत्र संख्या-65 दिनांक-31.01.2022, स्वीकृत्यादेश सं0-40 रा0 (वि0) दिनांक-17.02.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-57 रा0 (वि0) दिनांक-31.03.2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-22 रा0 (वि0) दिनांक-07.11.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक-23.03.2023 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
9. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति तथा स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।
10. इस स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक-31.03.2021, स्वीकृत्यादेश सं0-18 रा0 (वि0) दिनांक-03.09.2021, स्वीकृत्यादेश सं0-40 रा0 (वि0) दिनांक-17.02.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-22 रा0 (वि0) दिनांक-07.11.2022 के संलग्न परिशिष्टों द्वारा स्वीकृत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के लिए किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।
11. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रूप से भेजा जायेगा।
12. आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए, निर्गत किया जाएगा।

17/11/2023

67


13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों में निहित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

  
(अबुबकर सिद्दीख पी०)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 30 ए० (वि०) / राँची, दिनांक 01.12.23

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव


ज्ञापांक :- 30 ए० (वि०) / राँची, दिनांक 01.12.23


प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 30 ए० (वि०) / राँची, दिनांक 01.12.23

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



  
सरकार के सचिव